

(2024) 7 एस.सी.आर. 1129:2024 आईएनएससी 539

मेसर्स रीवा टोलवे प्रा. लि.

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 8985 /2013)

19 जुलाई 2024

[विक्रम नाथ* और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए प्रश्न

राज्य विधानमंडल द्वारा व्यापक जनहित के आलोक में नीति के बाद के परिवर्तन को देखते हुए, अपीलकर्ताओं को निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बी. ओ. टी.) योजना के तहत निष्पादित रियायत करार पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना आवश्यक था। अपीलकर्ताओं की दलील है कि पिछले कार्यकारी निर्णय को देखते हुए कि करार में स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि इसे केवल 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना था, अपीलकर्ताओं ने वैध अपेक्षा के साथ करार किया कि कोई स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या अपीलकर्ताओं के पास पिछली नीति और कार्यकारी कार्रवाई के मद्देनजर कोई लागू करने योग्य कानूनी अधिकार था जिसे बाद में व्यापक जनहित के आलोक में बदल दिया गया था; क्या रियायत करार पट्टा या बंधपत्र या अनुज्ञप्ति था; जब पट्टेदार द्वारा व्यय की गई राशि पर स्टाम्प शुल्क देय था, तो क्या पूरी राशि पर उठाई गई मांग अनुचित थी।

शीर्ष टिप्पणियाँ

वैध अपेक्षा -वचन विबंध -जब लागू न हो-संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882-भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899-भारतीय स्टाम्प (म. प्र.) अधिनियम, 2002- उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि रियायत करार टी. पी. अधिनियम की धारा 105 तथा आई. एस. अधिनियम की धारा 2 (16) के तहत परिभाषित पट्टा था और भारतीय स्टाम्प (म. प्र.) अधिनियम,

2002 द्वारा संशोधित अनुसूची 1 (ए) के अनुच्छेद 33 के खंड (सी) के परंतुक (सी) में किए गए संशोधन की वैधता के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा की गई चुनौती को भी खारिज कर दिया -
शुद्धता:

अभिनिर्धारित : रियायत करार एक पट्टा था - आईएस अधिनियम के तहत पट्टे की परिभाषा किसी भी साधन को शामिल करती है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार के टोल किराए पर दिए जाते हैं और टीपी अधिनियम की धारा 105 के तहत, पट्टे की सभी अवयव पूरे किया जाता है-उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है जिसके कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता हो - 2002 का मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 12 की वैधता, जिसमें आई एस अधिनियम की अनुसूची 1-ए की प्रविष्टि 33 के खंड (सी) में परंतुक (सी) को सम्मिलित किया गया है, को बरकरार रखा गया -यह केवल एक वैधानिक प्रावधान है कि किसी विशेष प्रकार के पट्टा विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क की दर क्या होगी।वास्तव में, इस परंतुक को शामिल करने से स्टाम्प शुल्क की दर 8 प्रतिशत के बजाय घटाकर 2 प्रतिशत हो गई और वह भी पट्टेदार द्वारा व्यय की जाने वाली राशि पर।विधायी शक्ति के विरुद्ध वचन विबंध के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जा सकता - कोई पूर्व कार्यकारी निर्णय राज्य विधायिका को व्यापक जनहित को आगे बढ़ाने के लिए पिछले कार्यकारी निर्णय के विपरीत या उसके विरोध में कोई विधि बनाने या कोई नीति तैयार करने से नहीं रोकता है।विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर वचन विबंध या वैध अपेक्षा के सिद्धांत का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले कार्यपालिका ने अपना दृष्टिकोण अलग ढंग से व्यक्त किया था।यदि पिछले कार्यकारी निर्णय को व्यापक जनहित में विधायी शक्ति के प्रयोग में वापस ले लिया जाता है, संशोधित किया जाता है या किसी भी तरह से संशोधित किया जाता है, तो जिस पूर्व वचन पर पक्षकार कार्य करता है, उसे अधिकार के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है और न ही अधिकारियों को अपने वचन को वापस लेने से रोका जा सकता है, क्योंकि ऐसी अपेक्षा पक्षकार को कोई लागू करने योग्य अधिकार नहीं देती है-अपीलकर्ताओं के पास पिछले कानून या नीति और कार्यकारी कार्रवाई के प्रकाश में कोई लागू करने योग्य कानूनी अधिकार नहीं है, जिसे बाद में राज्य

विधानमंडल द्वारा व्यापक जनहित को देखते हुए बदल दिया गया था- इस प्रकार, वैध अपेक्षा और वचन विबंध के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं - पट्टेदार द्वारा करार के तहत व्यय की जाने वाली संभावित राशि पर 2% की दर से स्टाम्प शुल्क देय होगा - पट्टेदार द्वारा व्यय न की गई राशि पर, बल्कि पट्टादाता या किसी अन्य हितधारक द्वारा व्यय की गई राशि पर कोई स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के लिए पट्टेदार का कोई दायित्व नहीं है - करार के अनुसार पट्टेदार द्वारा व्यय की गई राशि सामान्यतः परियोजना की कुल लागत का 50% थी - एक बार जब पट्टेदार द्वारा व्यय की गई राशि पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान हो जाता, तो पूरी राशि पर की गई मांग अनुचित होगी- उपरोक्त सीमा तक मांग को अलग रखा जाना चाहिए - जिले के राजस्व अधिकारी/कलेक्टर (स्टाम्प) को उपरोक्त के अनुसार पुनः गणना करें तथा तदनुसार मांग को बढ़ाएं। [कंडिकाएँ 18,19, 24, 25, 27, 28,32,34]

वैध अपेक्षा -वचन विबंध - के सिद्धांत - चर्चा की गई।

निर्णयज विधि उद्धृत

उत्तराखंड राज्य एवं अन्य बनाम हरपाल सिंह रावत (2011) 4 एससीसी 575; नसीरुद्दीन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव एवं अन्य [2017] 12 एससीआर 1073 : (2018) 1 एससीसी 754; भारत संघ एवं अन्य बनाम हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं अन्य [1993] 3 एससीआर 128 : (1993) 3 एससीसी 499; राम प्रवेश सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य [2006] अनुपूरक 6 एससीआर 512 : (2006) 8 एससीसी 381; पी.टी.आर. एक्सपोर्ट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य [1996] अनुपूरक 2 एससीआर 662: (1996) 5 एससीसी 268; मेसर्स हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड बनाम भारत संघ [2022] 13 एससीआर 592: (2023) 1 एससीसी 386 - पर भरोसा किया गया।

नवज्योति को-ऑप. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाम भारत संघ [1992] सप्प. 1 एससीआर 709; भारतीय खाद्य निगम बनाम कामधेनु कैटल फीड इंडस्ट्रीज [1992] अनुपूरक 2 एससीआर 322; झारखंड राज्य और अन्य बनाम ब्रह्मपुत्र मेटलीज लिमिटेड रांची और अन्य [2020] 14

एससीआर 45; बिहार राज्य और अन्य बनाम श्यामा नंदन मिश्रा [2022] 11 एससीआर 1136; गुजरात राज्य और अन्य बनाम रमन लाल केशव लाल सोनी और अन्य [1983] 2 एससीआर 287; बी.एस. यादव और अन्य आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य आदि [1981] 1 एससीआर 1024; कुन्नाथत थाथुन्नी मूपिल नायर बनाम केरल राज्य और अन्य [1961] 3 एससीआर 77 - लागू नहीं अभिनिर्धारित ।

एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम आर.एन. कपूर [1960] 1 एससीआर 368: एआईआर 1959 एससी 1262 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882; भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899; भारतीय स्टाम्प (म.प्र.) अधिनियम, 2002

सूचक/संकेत शब्दों की सूची

रियायत करार ; नीति/कानून में बाद में परिवर्तन; पिछला कानून या नीति बाद में बदली गई; स्टाम्प शुल्क; पट्टा विलेख; बंधपत्र ; लाइसेंस; वैध अपेक्षा; वचन विबंध ; पिछली नीति; कार्यकारी निर्णय; टोल/पुल; सड़कें; व्यापक जनहित के मद्देनजर बाद में बदली गई कार्यकारी कार्रवाई;पट्टा विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क; घाटे वाले स्टाम्प शुल्क की वसूली; वसूली नोटिस।।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता से उत्पन्न मामला: सिविल अपील क्रमांक 8985/2023

उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर, के डब्लू.पी क्रमांक 2219/2004 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 11/02/2010 से साथ में सिविल अपील क्रमांक 8989, 8986, 8990, 8988, 8987, 8991, 8992, 8993, 8995,8996,और 8994 /2013

।

पक्षकारों के लिए उपस्थिति

अपीलकर्ता द्वारा- प्रफुल्ल कुमार बेहरा, एस.एस. नेहरा, विक्रान्त नेहरा, सुश्री सुंदरी रावत, कुणाल वर्मा, श्रीमती युगांधरा पवार झा, सुश्री लावण्या धवन, शिवराज पवार, रितिक गुप्ता, संजय कपूर, अर्जुन भाटिया, बी.के. सतीजा,अधिवक्तागण ।

प्रत्यर्थीगण द्वारा -सौरभ मिश्रा, ए.ए.जी., सनी चौधरी, सुश्री आरुषि सिंह, आशीष कुमार, अधिवक्तागण ।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति- विक्रम नाथ

1. मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय, जबलपुर, ने आक्षेप निर्णय और आदेश दिनांक 11/02/2010 द्वारा बारह याचिकाओं के एक समूह को निर्णीत किया जिसमें यह प्रश्न शामिल था कि क्या ऐसा लेन-देन जहां निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बी. ओ. टी.) योजना के तहत सड़कों, पुलों आदि के निर्माण में रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा व्यय की गई राशि के बदले में टोल एकत्र करने का अधिकार दिया गया है, जैसा कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 105 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 2 (16) के तहत अनुध्यात "पट्टे" के बराबर है। उक्त रिट याचिकाओं में आगे चुनौती भारतीय स्टाम्प (म.प्र.) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित अनुसूची 1(ए) के अनुच्छेद 33 के खंड (सी) के परन्तुक (सी) में किए गए संशोधन की वैधता के संबंध में थी, और म.प्र. अधिनियम 24 के 1990 द्वारा संशोधित आई एस अधिनियम, 1899 की धारा 48 और 48(बी) को अधिकारहीन घोषित करने की और प्रार्थना की गई थी।
2. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निवेदनों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि रिट याचिकाएँ बिना किसी गुणागुण के थीं और तदनुसार उन्हें खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर ये बारह अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।
3. सुविधा के लिए, हम सिविल अपील क्रमांक 8985/2013 के तथ्यों का उल्लेख कर रहे हैं, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:
 - (i) मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड, (प्रत्यर्थी क्र. 3)
 - कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित और पंजीकृत

कंपनी है। मध्य प्रदेश राज्य ने निर्माण, संचालन और हस्तांतरण योजना को रियायत के माध्यम से पूरा/कार्यान्वितरित की जाने वाली सतना-मैहर-पारासिमोद-उमरिया सड़क परियोजना पर सड़क के एक हिस्से के पुनर्निर्माण, सुदृढीकरण, चौड़ीकरण और पुनर्वास के लिए एम. पी. आर. एस. एन. एन. को आदेश दिनांक 01/02/2001 के माध्यम से अधिकृत किया था।

(ii) एम. पी. आर. एस. एन. एन. ने दिनांक 22/04/2002 के विज्ञापन के माध्यम से उपरोक्त परियोजना के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं, जिसके अनुसार अपीलार्थी की बोली स्वीकार कर ली गई थी। एम. पी. आर. एस. एन. एन. ने अपीलार्थी को 30 दिनों के भीतर रियायत करार के निष्पादन के लिए 8 अगस्त, 2002 को स्वीकृति पत्र जारी किया गया था।

(iii) मध्य प्रदेश राज्य में आईएस अधिनियम को 2002 के संशोधन अधिनियम क्रमांक 12 के तहत संशोधित किया गया था और अनुसूची-1(ए) की प्रविष्टि संख्या 33 में खंड (सी) के परन्तुक (सी) को शामिल किया गया था, जिसमें प्रावधानित था कि परियोजना पर व्यय की जाने वाली संभावित राशि पर 2% की दर से स्टाम्प शुल्क लगाया जाएगा, पट्टा करार पर और टोल वसूलने का अधिकार दिया गया है। उक्त संशोधन को मध्य प्रदेश राज्य ने 12/08/2002 को अधिसूचित किया।

(iv) एमपीआरएसएनएन और अपीलकर्ता के बीच 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर रियायत करार पर 15/09/2002 को हस्ताक्षर किए गए थे। अपीलकर्ता को 26/03/2004 को कारण बताओ नोटिस यह सूचित करते हुए जारी किया था कि मध्य प्रदेश राज्य और रीवा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड के बीच के मामले को 29/03/2004 को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स, भोपाल के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा और अपीलकर्ता को 15/09/2002 के करार की मूल प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। अपीलकर्ता ने दिनांक 25/04/2004 को विस्तृत जवाब दाखिल किया जिसमें कहा गया कि निष्पादित किया गया करार एक रियायत करार था और इस तरह, इसे पट्टे के रूप में नहीं बल्कि अधिकतम लाइसेंस के रूप में माना जा सकता है। कलेक्टर (स्टाम्प), भोपाल ने दिनांक 30/04/2004 आदेश के माध्यम से आई एस अधिनियम की धारा 48-बी के तहत

शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया, जिसमें 15/09/2002 के रियायत करार पर देय 1,08,00,000/- (एक करोड़ आठ लाख रुपये) की कमी वाले स्टाम्प शुल्क की वसूली का निर्देश दिया गया। इसके बाद, दिनांक 29/05/2004 को कलेक्टर (स्टाम्प) भोपाल द्वारा वसूली नोटिस जारी किया गया, जिसमें उक्त राशि को वसूली नोटिस प्राप्त होने के सात दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया।

(v) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपीलकर्ता ने आदेश दिनांक 30/04/2004 को चुनौती देते हुए रिट याचिका 6 जून, 2004 को प्रस्तुत की, जिसे रिट याचिका क्रमांक 2219/2004 के रूप में पंजीकृत किया गया। उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 03/08/2004 के अनुसार दिनांक 30/04/2004 के आक्षेप आदेश के तहत किसी भी राशि की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने निर्णय एवं आदेश दिनांक 11/02/2010 के अनुसार उक्त रिट याचिका को अन्य ग्यारह मामलों के साथ खारिज कर दिया तथा स्टाम्प कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 30/04/2004 के द्वारा उठाई गई मांग को बरकरार रखा।

(vi) उच्च न्यायालय के आक्षेप निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने 3 मई, 2010 को संबंधित मामलों के साथ वर्तमान अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें 14 मई, 2010 को नोटिस जारी किए गए और उसके बाद 7 जनवरी, 2011 को अंतरिम आदेश पारित किया गया। बाद में, इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 13/09/2013 के द्वारा अनुमति प्रदान करते हुए पूर्व में दी गई अंतरिम रोक को जारी रखने का निर्देश दिया।

4. हमने नौ (9) अपीलों में अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे और अन्य तीन (3) अपीलों में अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित अन्य विद्वान वकीलों और प्रत्यर्थियों की ओर से मध्य प्रदेश राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सौरभ मिश्रा को सुना है।

5. इससे पहले कि हम निवेदनों के साथ आगे बढ़ें, तीन अन्य तारीखों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जिनका उल्लेख श्री दवे ने वैध अपेक्षा और वचन विबंध पर अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में किया है। श्री दवे के अनुसार, 22 अप्रैल, 2002 के विज्ञापन के माध्यम से निविदा आमंत्रित किए

जाने के पश्चात, मुख्य सचिव ने दिनांक 01/07/2002 को बी. ओ. टी. योजना के अंतर्गत निष्पादित करारों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि कि मध्य प्रदेश राज्य में भी ऐसे करारों पर स्टाम्प शुल्क देय नहीं होगा तथा आगे यह दोहराया गया था कि भविष्य में किसी भी प्रकार के संदेह से बचने के लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि बी.ओ.टी. योजना के अंतर्गत निष्पादित किए जा रहे करारों पर कोई स्टाम्प शुल्क देय नहीं होगा। राज्य के मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 21/07/2002 के पत्र के माध्यम से संकल्प दिनांक 1/07/2002 के संबंध में एक और स्पष्टीकरण जारी किया गया कि भविष्य में बी.ओ.टी. परियोजनाओं पर कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया जाएगा और ऐसे करारों को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षरित किए जाएंगे। श्री दवे ने 10 मार्च, 2008 की राज्य सरकार की अधिसूचना का भी उल्लेख किया, जिसमें टोल पर स्टाम्प शुल्क को 2 प्रतिशत से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया था, अर्थात् जो 2002 के संशोधन से पहले मौजूद था और जैसा कि अधिसूचना और 1 जुलाई 2002 और 21 जुलाई, 2002 के पत्रों में स्पष्ट किया गया था। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क का प्रभार केवल मध्य प्रदेश राज्य में अगस्त, 2002 से मार्च, 2008 के बीच लागू था और उसके बाद, बी. ओ. टी. योजना के तहत ऐसे सभी रियायत करारों को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना है। मध्य प्रदेश राज्य का पूर्णतया आशय था कि 2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क न लिया जाए और बी. ओ. टी. योजना के तहत रियायत करार को लाइसेंस माना जाए, लेकिन दुर्भाग्य से ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए, इसे पट्टे के रूप में माना गया और अपीलकर्ता इस अवधि से व्यथित हैं, जबकि 10 मार्च, 2008 के बाद निष्पादित बी. ओ. टी. योजना के तहत बाद के सभी रियायत करारों को इस तरह के स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है।

6. श्री दवे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने तर्कों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि दिनांक 01/07/2002 के स्पष्टीकरण तथा उसके पश्चात पूरे राज्य में दिनांक 21/07/2002 के पत्र के माध्यम से परिसंचरण को देखते हुए, जब एक बार यह स्पष्ट हो गया कि बीओटी परियोजनाओं के अंतर्गत रियायत करारों को 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किए जाएंगे, अपीलकर्ताओं ने इसी प्रभाव के साथ करार किया था और अपनी परियोजना लागत और साथ ही 2% स्टाम्प शुल्क को ध्यान में रखे बिना अपनी निविदाओं

की गणना की थी, उन्हें वैध अपेक्षा थी कि करार के लिए मूल्य के 2% की दर से स्टांप शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि इसे केवल 100/- रुपये के स्टांप पेपर पर ही निष्पादित किया जाना था। अपीलकर्ताओं की वैध अपेक्षाओं के विपरीत थी और इसलिए इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

7. इसके बाद यह निवेदन किया गया कि राज्य सरकार को आईएस अधिनियम में संशोधन करने से मुख्य सचिव के परिपत्र दिनांक 1 जुलाई, 2002 और उसके बाद दिनांक 21 जुलाई, 2002 के पत्र के अनुसार विबंधित कर दिया और रियायत करार को पट्टा मानते हुए, जो उसी वचन विबंध के सिद्धांत से प्रभावित होगा, 2% की दर से मांग को आगे बढ़ाया। रियायत करार को पट्टा मानते हुए राज्य को इस तरह के स्टाम्प शुल्क की मांग करने से रोक दिया गया।

8. श्री दवे ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब लिया है:

- (1) नवज्योति को-ऑप. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी विरुद्ध भारत संघ;
- (2) भारतीय खाद्य निगम विरुद्ध कामधेनु कैटल फीड इंडस्ट्रीज;
- (3) झारखंड राज्य एवं अन्य विरुद्ध ब्रह्मपुत्र मेटलीज लिमिटेड रांची एवं अन्य;
- (4) बिहार राज्य एवं अन्य विरुद्ध श्यामा नंदन मिश्रा; (5) मेसर्स हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य।

9. श्री दवे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, ने आगे तर्क दिया कि 2002 के संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 33 के तहत खंड (सी) में परन्तुक (सी) को अंतर्विष्ट करना अधिकारहीन है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिदेश का उल्लंघन करता है। यह निवेदन किया गया कि उक्त संशोधन अवैध, मनमाना और विधि की दृष्टि में गलत है क्योंकि इसने मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 01/07/2002 के परिपत्र के माध्यम से किए गए वचन को अकृत कर दिया था, और 2% स्टाम्प ड्यूटी में फैक्टरिंग नहीं करने से अपीलकर्ताओं के निहित अधिकार को छीन लिया है और अंततः लगभग 1,08,00,000/- (एक करोड़ आठ लाख रुपये) की भारी राशि की मांग की है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में निम्नलिखित दो निर्णयों पर भरोसा किया है:

(1) गुजरात राज्य एवं अन्य विरुद्ध रमन लाल केशव लाल सोनी एवं अन्य;

(2) बी.एस. यादव एवं अन्य आदि विरुद्ध हरियाणा राज्य एवं अन्य आदि;

10. श्री दवे द्वारा उठाया गया अगला मुद्दा यह है कि उक्त संशोधन अधिकारातीत है, क्योंकि राज्य के पास इस संशोधन को लाने की कोई विधायी क्षमता नहीं थी। इसके अलावा, यह निवेदन किया गया कि यह आभासी और अत्यधिक कानून था और भारत के संविधान के साथ धोखाधड़ी थी, क्योंकि राज्य ने स्वयं 2008 में 2002 के संशोधन को वापस ले लिया था। उन्होंने अपने निवेदन के समर्थन में निम्नलिखित निर्णय का अवलंब लिया है :

(1) कुन्नथट थथुन्नी मूपिल नायर विरुद्ध केरल राज्य और अन्य;

11. श्री दवे का अगला तर्क यह है कि दिनांक 15/09/2002 का रियायत करार पट्टा का दस्तावेज नहीं है और, इस प्रकार, 2% स्टाम्प शुल्क की मांग पूरी तरह से अनुचित और अवैध थी। उनके अनुसार, परियोजना भूमि का स्वामित्व राज्य द्वारा एमपीआरएसएनएन को हस्तांतरित नहीं किया गया है और इस प्रकार, एमपीआरएसएनएन अपीलकर्ताओं को कोई स्वामित्व या हित हस्तांतरित नहीं कर सकता है। रियायत करार जन, लाभ, भागीदारी (पीपीपी मोड) की अवधारणा पर था। उन्होंने सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 का उल्लेख करते हुए अपनी दलीलों को और विस्तृत किया है। उनके अनुसार, एक पट्टे में, निम्नलिखित तीन अवयव पहले से मौजूद होने चाहिए:

- (1) ऐसी संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का हस्तांतरण है।
- (2) यह एक निश्चित समय के लिए, व्यक्ति या निहित या शाश्वत रूप से बनाया जाता है।
- (3) भुगतान या वचन की गई कीमत पर विचार किया जाना चाहिए।

12. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दवे के अनुसार, पट्टे का अर्थ है संपत्ति का उपभोग करने के लिए संपत्ति में हित का हस्तांतरण, जबकि लाइसेंस का अर्थ है संपत्ति का हस्तांतरण लेकिन संपत्ति में कोई हित नहीं।

उनके अनुसार, वर्तमान मामले में, संपत्ति में हित का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ था, इसलिए यह पट्टे की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में रियायत करार के विभिन्न खंडों का भी उल्लेख किया है।

13. आगे यह निवेदन किया गया कि एमपीआरएसएनएन परियोजना के निर्माण में 50% का भागीदार है, जो यह इंगित करता है कि रियायत करार एक पारस्परिक करार है और, इस प्रकार, आक्षेप आदेशों द्वारा लगाए गए 2% स्टाम्प शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। उनके अनुसार, कुल परियोजना लागत में से 50% का भुगतान एमपीआरएसएनएन द्वारा किया जाना था। उनके अनुसार, प्रत्यर्थी क्रमांक 3, एमपीआरएसएनएन सम्पूर्ण सड़क परियोजना में 50% का भागीदार है, जिसका अर्थ है कि अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी क्रमांक 3 समान हितधारक हैं और इस तरह, अपीलकर्ता पर पूरी परियोजना लागत का 2% स्टाम्प शुल्क एकतरफा रूप से लगाया जाना अवैध और अनुचित था। उन्होंने कलेक्टर (स्टाम्प), भोपाल, के निर्णय की भी आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुल परियोजना लागत 110 करोड़ रुपये थी, जबकि वास्तव में यह 54 करोड़ रुपये थी, जिसमें से एमपीआरएसएनएन (प्रत्यर्थी क्रमांक 3) ने सब्सिडी दी थी और 29.10 करोड़ रुपये का निवेश किया था और शेष 24.90 करोड़ रुपये अपीलकर्ता द्वारा निवेश किए गए थे। इस प्रकार, भले ही वह 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, राशि बहुत कम होगी, लगभग 48 लाख रुपये और उससे अधिक न कि 1.08 करोड़ रुपये, जो पूरी परियोजना लागत पर 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क था।

14. अंतिम तर्क यह है कि जब 10 मार्च, 2008 को आईएस अधिनियम पुनः संशोधित किया गया था तो 2002 के पूर्व के संशोधन को अवैध और मनमाना माना जाना चाहिए। इस तरह के तर्कों पर, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दवे ने न्यायालय से अपील स्वीकार करने और 1.08 करोड़ रुपये की स्टाम्प शुल्क में कमी लगाने वाले आक्षेप आदेशों को अपास्त करने का आग्रह किया।

15. दूसरी ओर, 'एमपीआरएसएनएन' सहित तीनों प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मध्य प्रदेश राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सौरभ मिश्रा ने

कहा कि उच्च न्यायालय ने उपरोक्त सभी तर्कों पर बहुत विस्तार से विचार किया था और वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ इस मुद्दे पर कानून के आधार पर उन्हें उचित कारणों से निरस्त कर दिया था। इसमें कोई कमी नहीं है, और न ही कोई विकृति है जिसके लिए इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए।

16. श्री मिश्रा के अनुसार, संपत्ति अधिनियम के तहत परिभाषित पट्टे का गठन करने वाले दस्तावेज के सभी अवयव बी. ओ. टी. योजना के तहत रियायत करारों में मौजूद थे। उन्होंने रियायत करार के विभिन्न खंडों का भी उल्लेख किया है ताकि यह दिखाया जा सके कि टोल वसूलने के लिए वास्तव में अपीलार्थियों को कब्जा हस्तांतरित किया गया था, इस तरह के कब्जे की अवधि पंद्रह वर्ष निर्धारित की गई थी। यह विचार के लिए था जिसका उल्लेख करार में भी किया गया था। इसलिए, तीनों अवयवों को पूरा किया गया और इस प्रकार, कलेक्टर (स्टाम्पस), भोपाल और उच्च न्यायालय ने रियायत करारों को पट्टा माना। उन्होंने आई. एस. अधिनियम के तहत 'पट्टा' की परिभाषा का भी उल्लेख किया, जैसा कि धारा 2(16) में अधिकृत किया गया है, जिसमें कोई भी दस्तावेज शामिल है जिसके द्वारा कोई भी साधन जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का टोल दिया जाता है। उन्होंने सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (26) के तहत परिभाषित 'अचल संपत्ति' की परिभाषा का भी उल्लेख किया, जिसमें भूमि, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और पृथ्वी से जुड़ी चीजें या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज से जुड़ी चीजें शामिल होंगी। उन्होंने आगे उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए विभिन्न निष्कर्षों का उल्लेख किया। आगे उन्होंने इस न्यायालय के तीन निर्णयों पर भरोसा किया :-

(1) एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड विरुद्ध आर.

एन. कपूर;

(2) उत्तराखंड राज्य और अन्य विरुद्ध हर्पाल सिंह रावत;

(3) नसीरुद्दीन और एक अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य।

सचिव और अन्य;

17. श्री मिश्रा ने भारतीय टोल (एमपी) संशोधन अधिनियम, 1972 के विभिन्न प्रावधानों का भी उल्लेख किया। जहां तक संशोधनों को अधिकरातीत बताकर चुनौती दिए जाने का सवाल है, श्री मिश्रा ने निवेदन

किया कि प्रविष्टि-33 के खंड (सी) में परंतुक (सी) को अंतर्विष्ट करना केवल स्टांप शुल्क वसूलने की दर निर्धारित करने के लिए है और इस प्रकार, चुनौती पूरी तरह अप्रासंगिक है। रियायत करार सम्पत्ति अधिनियम की धारा 105 तथा आई.एस. अधिनियम की धारा 2(16) के तहत परिभाषित पट्टा है, इसलिए इस पर स्टाम्प शुल्क लगेगा, जिसके लिए दर अनुसूची 1-ए के तहत प्रदान की गई है। यह भी तर्क दिया गया कि वचन विबंध और वैध अपेक्षा से संबंधित निवेदन अनुचित और बिना किसी योग्यता के हैं, क्योंकि रियायत करार के निष्पादन से पहले संशोधन लाया गया था। मुख्य सचिव द्वारा दी गयी संसूचना राज्य विधानमंडल द्वारा लाए गए वैधानिक संशोधनों पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। यह भी निवेदन किया गया है कि कानून के विपरीत किसी भी वैध अपेक्षा या वचन विबंध का कोई अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद यह तर्क दिया गया कि चूंकि 2002 का संशोधन 2008 में पलट दिया गया था, इसलिए, अपने आप में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि 2002 का संशोधन अवैध था। यह तर्क दिया गया कि अपीलें गुणावगुण से रहित हैं और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

18. प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करने और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने के बाद, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि इन अपीलों में उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हमें कोई भी कमी या कोई भी विकृति नहीं दिखती जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। उच्च न्यायालय ने न केवल रियायत करार की शर्तों पर विचार करते हुए मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया है, बल्कि उच्च न्यायालय (इसमें अपीलकर्ताओं) के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत संबंधित तर्कों पर भी विस्तार से विचार किया है, साथ ही वैधानिक प्रावधानों, संवैधानिक प्रावधानों और पक्षकारों के अधिवक्ता द्वारा अवलंबन किए गए निर्णय विधि का भी उल्लेख किया है। हालाँकि, मामले का एक पहलू ऐसा है जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है, जिस पर हम इस निर्णय के अंत में चर्चा करेंगे।

19. अपीलार्थियों की ओर से 2002 के म.प्र.संशोधन द्वारा आई. एस. अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए की प्रविष्टि 33 में खंड (सी) के परंतुक (सी) को शामिल करने के अधिकार से संबंधित तर्कों में कोई बल नहीं है

क्योंकि यह न तो 'लीज' शब्द को परिभाषित करता है और न ही यह किसी भी तरह से 'लीज' की परिभाषा में हस्तक्षेप करता है, या तो इसकी व्याख्या का विस्तार या प्रतिबंध करके। यह केवल एक वैधानिक प्रावधान है कि किसी विशेष प्रकार के पट्टा विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क की दर क्या होगी। लेकिन उस परंतुक को शामिल करने के लिए जिसे चुनौती दी जानी चाहिए, पट्टे पर देय स्टाम्प शुल्क बाजार मूल्य का 8 प्रतिशत होगा जैसा कि अनुसूची 1-ए की प्रविष्टि-22 के तहत हस्तांतरण पत्र पर लगाया जाना है। इस परंतुक को अंतर्विष्ट करने से बी. ओ. टी. परियोजना के तहत टोल/पुलों, सड़कों के निर्माण आदि के लिए पट्टे पर देय स्टाम्प शुल्क पट्टेदार द्वारा व्यय की गई राशि का 2 प्रतिशत होगा। वास्तव में, इस परंतुक को शामिल करने से स्टाम्प शुल्क की दर 8 प्रतिशत के बजाय घटाकर 2 प्रतिशत हो गई और वह भी पट्टेदार द्वारा व्यय की जाने वाली राशि पर।

20. इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में वैध अपेक्षा के सिद्धांत पर चर्चा की गई है और स्पष्ट किया गया है। यह सिद्धांत कार्यकारी कार्यों, नीतिगत परिवर्तनों और विधायी निर्णयों की न्यायिक समीक्षा के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। इस न्यायालय ने **भारत संघ और अन्य विरुद्ध हिंदुस्तान विकास निगम और अन्य में**, इस बात पर जोर दिया कि वैध अपेक्षा मुख्य रूप से आवेदक को उस निर्णय से पहले निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देती है जो किसी वचन को नकारता है या किसी ऐसे वचन को वापस लेता है जिससे किसी निश्चित परिणाम या उपचार की अपेक्षा उत्पन्न होती है। वैध अपेक्षा का संरक्षण सर्वोपरि जन हित के अधीन है, जिसका अर्थ है कि भले ही किसी व्यक्ति की अपेक्षा उचित हो और कार्यपालिका या विधायिका द्वारा पूर्व कार्य या प्रतिनिधित्व पर आधारित हो, लेकिन यदि महत्वपूर्ण जन आवश्यकता द्वारा उचित ठहराया जाए तो इसे अस्वीकार किया जा सकता है। न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि नीति परिवर्तन के मामलों में, आम तौर पर न्यायपालिका हस्तक्षेप करने से बचती है, जब तक कि निर्णय मनमाना, अनुचित या जनहित में न हो।

21. **राम प्रवेश सिंह और अन्य विरुद्ध बिहार राज्य और अन्य** का निर्णय वैध अपेक्षा को लाभ, राहत या उपचार की अपेक्षा के रूप में परिभाषित करता है जो प्रशासनिक, कार्यकारी या विधायी कार्रवाई के माध्यम से

वचन या स्थापित कार्य से उत्पन्न होता है। यह अपेक्षा उचित, तार्किक और वैध होनी चाहिए; लेकिन यह किसी भी तरह से कोई लागू करने योग्य विधिक अधिकार प्रदान नहीं करती है। यह सिद्धांत वैध अपेक्षा को विधि द्वारा लागू किए जाने वाले अधिकार के स्तर तक नहीं बढ़ाता है। इसके बजाय, यह एक प्रक्रियात्मक अवधारणा है जो प्रशासनिक कार्रवाई में निष्पक्षता की मांग करती है। जब किसी अपेक्षा को वैध माना जाता है, तो उस व्यक्ति को अपेक्षा को अस्वीकार करने या अस्वीकार करने का स्पष्टीकरण प्राप्त करने से पहले कारण बताने का अवसर प्रदान कर सकता है। हालाँकि, वैध अपेक्षा से हमेशा राहत नहीं मिलती है, विशेष रूप से जब जनहित, नीति परिवर्तन, या अन्य वैध कारण अपेक्षित कार्रवाई से विचलन को उचित ठहराते हैं।

22. पी.टी.आर. एक्सपोर्ट्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य का निर्णय नीतिगत परिवर्तनों और विधायी कार्रवाइयों के संदर्भ में वैध अपेक्षा की सीमित भूमिका को और स्पष्ट करता है। इस न्यायालय ने कहा कि सरकार के पास बदलती परिस्थितियों, जैसे संभावित विदेशी बाजार और विदेशी मुद्रा अर्जित करने की आवश्यकता, के जवाब में नीतियों को संशोधित करने का अधिकार है। इस प्रकार, वैध अपेक्षा का सिद्धांत सरकार को अपनी नीतियों को बदलने से नहीं रोकता है, बशर्ते कि परिवर्तन जनहित में न कि सत्ता के दुरुपयोग के माध्यम से किये जाए। न्यायपालिका आर्थिक नीति के मामलों में कार्यपालिका और विधायिका विभिन्न आर्थिक कारकों को प्राथमिकता देने के उनके विशेषाधिकार को मान्यता देते हुए काफी छूट देती है। परिणामतः, पिछली नीतियां सरकार को अनिश्चित काल के लिए बाध्य नहीं करती हैं; यदि आवश्यक समझा जाए तो जनहित के लिए नई नीतियां अपनाई जा सकती हैं। यह इस सिद्धांत को रेखांकित करता है कि यद्यपि वैध अपेक्षा निष्पक्ष व्यवहार की गारंटी देती है, लेकिन यह नीति-निर्माण में सरकार के लचीलेपन को बाधित नहीं करती है।

23. इसलिए, वैध अपेक्षा का सिद्धांत केवल प्रशासनिक निर्णयों और नीतिगत परिवर्तनों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। यह अपेक्षित पक्ष को निष्पक्ष सुनवाई और स्पष्टीकरण का अधिकार देता है लेकिन अपेक्षित लाभ की प्राप्ति की गारंटी नहीं देता है। जनहित में नीतियों को संशोधित करने का सरकार का

अधिकार सर्वोपरि है, साथ में न्यायपालिका केवल मनमानी, अनुचितता या जनहित की कमी के मामलों में ही हस्तक्षेप करती है। यह संतुलित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि जहां व्यक्ति अतीत के कार्यों या वचनों के आधार पर सुसंगत व्यवहार की उम्मीद करता है, वहीं सरकार के पास विकसित जरूरतों और प्राथमिकताओं पर प्रतिक्रिया देने का लचीलापन बना रहेगा।

24. वचन विबंध के सिद्धांत पर, चूंकि यह न्यायसंगत सिद्धांत है, यह केवल तभी लागू होता है जब समानता के लिए किसी पक्ष को अपना वचन वापस लेने से रोका जाना आवश्यक हो। इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में यह अच्छी तरह से स्थापित किया गया है कि वचन विबंध के सिद्धांत को विधायी शक्ति के प्रयोग के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता है। वर्तमान निर्णय पर बोझ से बचने के लिए, हम इस न्यायालय द्वारा हाल ही में वचन विबंध के सिद्धांत से संबंधित निर्णयों में की गई टिप्पणियों पर भरोसा कर रहे हैं। **हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड विरुद्ध भारत संघ में पीठ** ने इस संबंध में इस न्यायालय के अन्य निर्णयों पर भरोसा करते हुए, इस प्रकार टिप्पणी की (एससीसी पृष्ठ 414-415, पैरा 68)

“68. इन सभी निर्णयों में एक सामान्य सूत्र जो देखा जा सकता है वह यह है कि ये सभी निर्णय लगातार यह अभिनिर्धारित करते हैं कि विधानमंडल के विधायी कार्यों के प्रयोग में कोई बाधा नहीं हो सकती। एम. रामनाथ पिल्लई (उपरोक्त) के मामले में संविधान पीठ ने अमेरिकी न्यायशास्त्र में इस दृष्टिकोण को मंजूरी दी है कि विबंध का सिद्धांत राज्य के विरुद्ध उसकी सरकारी, जन या संप्रभु क्षमता में लागू नहीं किया जाएगा। इसने आगे कहा कि जहां धोखाधड़ी या स्पष्ट अन्याय को रोकना आवश्यक है यही विबंध के सिद्धांत की प्रयोज्यता के संबंध में एकमात्र अपवाद है। इस मुद्दे पर इस न्यायालय के सभी निर्णयों के विश्लेषण से पता चलेगा कि यह इस न्यायालय का एक सुसंगत दृष्टिकोण है, जिसे गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) में फिर से दोहराया गया है, कि विधायिका के विधायी कार्यों के प्रयोग में उसके विरुद्ध कोई वचन विबंध नहीं हो सकता है।

25. उपर्युक्त उद्धृत निर्णयों और कई अन्य में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के प्रकाश में, यह कानून की स्पष्ट स्थिति है कि कोई पूर्व कार्यकारी निर्णय राज्य विधायिका को व्यापक जनहित को आगे बढ़ाने के लिए पिछले कार्यकारी निर्णय के विपरीत या उसके विरोध में कोई विधि बनाने या कोई नीति तैयार करने से नहीं रोकता है। न ही यह तर्क दिया जा सकता है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर वचन विबंध या वैध अपेक्षा के सिद्धांत का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले कार्यपालिका ने अपना दृष्टिकोण अलग ढंग से व्यक्त किया था।

26. वचन विबंध या वैध अपेक्षा कार्यकारी निर्णय की समान स्थिति पर निपटाया जा सकता है, जब पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती निर्णय दोनों एक ही या समान रूप से प्राधिकारियों द्वारा लिए गए हों। जहां कार्यपालिका कोई निर्णय लेती है जिसके आधार पर कोई पक्षकार कार्य करता है और बाद में कार्यपालिका उस निर्णय को वापस ले लेती है, जिससे पहले के निर्णय पर कार्य करने वाले पक्षकार को नुकसान होता है, तो यह कहा जा सकता है कि उसे अपना वचन वापस लेने से रोक दिया गया है या पक्षकार को उस चीज की वैध अपेक्षा से वंचित कर दिया गया जिसका वचन दिया गया था।

27. ऐसी स्थिति में, जैसे कि हमारे सामने है, यदि पिछले कार्यकारी निर्णय को व्यापक जनहित में विधायी शक्ति के प्रयोग में वापस ले लिया जाता है, संशोधित किया जाता है या किसी भी तरह से संशोधित किया जाता है, तो जिस पूर्व वचन पर पक्षकार कार्य करता है, उसे अधिकार के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है और न ही अधिकारियों को अपने वचन को वापस लेने से रोका जा सकता है, क्योंकि ऐसी अपेक्षा पक्षकार को कोई लागू करने योग्य अधिकार नहीं देती है। उपरोक्त चर्चा को वर्तमान तथ्यों पर लागू करने पर यह स्पष्ट है कि वैध अपेक्षा और वचन विबंध के सिद्धांत यहां लागू नहीं होंगे, क्योंकि अपीलकर्ताओं के पास पिछले कानून या नीति और कार्यकारी कार्रवाई के प्रकाश में कोई लागू करने योग्य कानूनी अधिकार नहीं है, जिसे बाद में राज्य विधानमंडल द्वारा व्यापक जनहित के मद्देनजर बदल दिया गया था। इस प्रकार, आईएस अधिनियम की अनुसूची 1-ए की प्रविष्टि 33 के खंड (सी) में परंतुक (सी) को सम्मिलित करने वाले 2002 के म. प्र. अधिनियम क्रमांक 12 को चुनौती देने से संबंधित अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

अपीलकर्ताओं की ओर से जिन मामलों पर भरोसा किया गया है, उनमें से कोई भी अपीलकर्ताओं के बचाव में नहीं आता है और वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उनका कोई उपयोग नहीं है।

28. अब अपीलकर्ताओं की ओर से अगले निवेदन पर आते हैं कि क्या रियायत करार एक पट्टा है या एक बंधपत्र या एक अनुज्ञप्ति है। आई.एस. अधिनियम के तहत पट्टे की परिभाषा स्पष्ट रूप से किसी भी साधन को शामिल किया गया है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार के टोल को किराए पर दिया जाता है और टीपी अधिनियम की धारा 105 के तहत, पट्टे की सभी अवयवों को पूरा किया जाता है। वर्तमान मामले में, हमें उन्हीं तर्कों और निष्कर्षों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, जो रियायत करार के विभिन्न खंडों पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा बहुत विस्तार से दिए गए थे। हम उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से उचित मानते हैं और रियायत करार की शर्तों की स्पष्ट समझ पर आधारित मानते हैं। हमें रियायत करार को पट्टा मानने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क में कोई भी विकृति नहीं पाते हैं। उच्च न्यायालय के वर्ष 2010 के निर्णय के पश्चात, इस न्यायालय द्वारा पट्टे की व्याख्या के संबंध में दो और निर्णय दिए गए हैं, जिन पर प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री मिश्रा ने भरोसा किया है। श्री मिश्रा द्वारा जिन तीन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, उनमें से **एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में लिए गए निर्णय पर उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है। इसके अलावा, **उत्तराखंड राज्य और अन्य (उपरोक्त)** तथा **नसीरुद्दीन और अन्य (उपरोक्त)** के मामले में दिए गए निर्णयों में एसोसिएटेड होटल ऑफ इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को दोहराया गया है। **नसीरुद्दीन और अन्य (उपरोक्त)** के मामले में पैराग्राफ 17 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“17. स्टाम्प अधिनियम के तहत “पट्टा” शब्द का अर्थ संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 105 (संक्षेप में “टीपी अधिनियम”) में निहित मूल अर्थ की तुलना में व्यापक है। यदि स्टाम्प अधिनियम की धारा 2(16) के तहत “पट्टा” में उप-खंड (ए) से (डी) में निर्धारित दस्तावेजों की चार निर्दिष्ट श्रेणियां शामिल हैं, तो हमें

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 105 में ऐसा कोई समावेश नहीं पाते हैं। यही कारण है कि हमारा विचार है कि स्टाम्प अधिनियम के उद्देश्य के लिए "पट्टा" की परिभाषा व्यापक प्रकृति की है। यह अभिव्यक्ति के उपयोग से भी स्पष्ट है और स्टाम्प अधिनियम की धारा 2 (16) में भी शामिल है। इसलिए काल्पनिक रूप से, "कोई भी साधन जिसके द्वारा किसी भी विवरण के टोल को किराए पर दिया जाता है" को स्टाम्प अधिनियम के तहत स्टाम्प शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से "पट्टा" माना जाता है।"

30. इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उपरोक्त दो निर्णयों और हम जो दृष्टिकोण ले रहे हैं, उससे और मजबूत होता है।

31. एकमात्र मुद्दा जिस पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है, वह है पट्टेदार द्वारा करार के तहत व्यय की गई राशि के निर्धारण के संबंध में। उक्त उद्देश्य के लिए, हम 2002 में जोड़े गए परंतुक के खंड (सी) के परंतुक (सी) को पुनः प्रस्तुत करते हैं:

(ग) पट्टे के लिए एक करार जहां टोल इकट्ठा करने का अधिकार बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) योजना के तहत सड़कों, पुल आदि के निर्माण में पट्टेदार द्वारा व्यय की गई राशि के बदले में दिया जाता है, पट्टेदार द्वारा करार के तहत व्यय की जाने वाली राशि पर दो प्रतिशत की दर से शुल्क लिया जाएगा।

32. उपरोक्त परंतुक (सी) से खंड (सी) को स्पष्ट रूप से पढ़ने से, पट्टेदार द्वारा करार के तहत व्यय की जाने वाली राशि पर 2% की दर से स्टाम्प शुल्क लगाया जाएगा। इस प्रकार, पट्टेदार द्वारा व्यय की गई राशि पर कोई स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने की कोई देयता नहीं है, लेकिन पट्टादाता या किसी अन्य हितधारक द्वारा व्यय की गई राशि पर। करार के अनुसार पट्टेदार द्वारा व्यय की गई राशि आम तौर पर परियोजना की कुल लागत का 50% थी।

33. **रीवा टोलवे** के मामले में, परियोजना की कुल लागत 54 करोड़ रुपये थी, जिसमें से लगभग 50 प्रतिशत पट्टेदार की होगी और 50 प्रतिशत पट्टादाता अर्थात् एम. पी. आर. एस. एन. एन., प्रत्यर्थी क्रमांक 3 द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। हालांकि, रियायत करार को आगे पढ़ने से पता चलता है कि पट्टेदार द्वारा व्यय की जाने वाली राशि बिल्कुल 50% नहीं थी, बल्कि यह थोड़ा अलग आंकड़ा है। कुछ जगहों पर इसे 24.10 करोड़ रुपये बताया गया है और अन्य जगहों पर अलग राशि का उल्लेख किया गया है और अन्य जगहों पर एक अलग राशि का उल्लेख किया गया है। हम इस मुद्दे में नहीं पड़ रहे हैं कि कितनी राशि व्यय की गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर (स्टांप) / राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाए।

34. एक बार जब पट्टेदार द्वारा व्यय की गई राशि पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान हो जाता है, तो पूरी राशि पर की गई मांग अनुचित होगी, अतः उपरोक्त सीमा तक मांग को अलग रखा जाना चाहिए तथा संबंधित जिले के राजस्व अधिकारी/कलेक्टर (स्टाम्प) को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे उपरोक्त के अनुसार पुनः गणना करें तथा तदनुसार मांग को बढ़ाएं। यदि अपीलकर्ताओं ने पूरी परियोजना लागत पर उठाई गई मांग जमा कर दी है, तो राज्य के पास पड़ी अतिरिक्त राशि उन्हें वापस कर दी जाएगी। हालांकि, स्टाम्प ड्यूटी में किसी भी कमी के मामले में, अपीलकर्ताओं को संबंधित जिले के राजस्व अधिकारी/कलेक्टर (स्टाम्प) द्वारा नई मांग उठाए जाने के दो महीने के भीतर इसे जमा करना होगा। कलेक्टर (स्टाम्प)/राजस्व अधिकारी को प्रत्येक मामले में उक्त राशि की अलग-अलग गणना करने तथा आज से दो माह की अवधि के भीतर अपीलकर्ताओं को सूचित करने का निर्देश दिया जाता है तथा जहां राशि राज्य के पास अधिक है, उसे ऐसे निर्धारण के दो माह की अवधि के भीतर वापस कर दिया जाएगा।

35. उपरोक्तानुसार अपीलें आंशिक रूप से स्वीकृत। कोई व्यय नहीं।

मामले का परिणाम: - अपीलें आंशिक रूप से स्वीकृत।

दिव्या पांडे : शीर्ष टिप्पणीयाँ द्वारा तैयार की गई।

सीमा दामले, एग्जामिनर

